न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या :– 130 / 2021

प्रार्थीगणः–	**बनाम**	**अप्रार्थीः–**
1. अमराराम पुत्र भाणाराम जाति घांची निवासी सोजतसिटी, तहसील सोजत, जिला पाली राज0।		1. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक – 03.01.2022

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने एक विविध प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम, तहसील सोजत के खसरा नम्बर 2666 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा नम्बर 2667 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा नम्बर 2668 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा नम्बर 2669 रकबा 0.1000 हैक्टर, खसरा नम्बर 2670 / 1 रकबा 0.0500 हैक्टर कुल खसरा 05 कुल रकबा 0.3600 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी की कब्जासुदा मालिकाना हक की कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी के पिता भाणाराम पुत्र बोराराम जाति घांची के नाम से जमाबंदी सम्वत् 2042 से 2045 के अनुसार दर्ज सुदा है, जो सही है। उक्त कृषि भूमि का नामान्तकरण संख्या 182 के आधार पर भाणाराम पुत्र बोराराम जाति घांची के नाम दर्ज की गई है। उसके बाद बनी राजस्व रेकर्ड जमाबंदी सम्वत् 2046 से 2049 में प्रार्थी के पिता भाणाराम पुत्र बोराराम जाति घांची के स्थान पर माली दर्ज कर दिया गया, तत्कालीन पटवारी हल्का के द्वारा नया चौसाला जमाबंदी बनाते समय प्रार्थी के पिता की जाति घांची के स्थान पर माली दर्ज कर दी गई है, जो गलत दर्ज हो गई है। उक्त त्रुटि तत्कालीन पटवारी हल्का के सवहन से एवं भूलवश माली शब्द दर्ज कर दिया गया जबकि घांची दर्ज करना चाहिए था। उक्त त्रुटि होने की वजह से उसके बाद बनी जमाबंदी में प्रार्थी के पिता की जाति माली के नाम से लगातार चली आ रही है। जिसे दुरूस्त किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र बाबत रेकर्ड दुरूस्ती का विरूद्ध अप्रार्थी पेश है। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थी अपने पिता के स्वर्गवास के बाद उक्त कृषि भूमि का फौतदगी नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया एवं राजस्व रेकर्ड जमाबंदी की नकल दिनांक 05 / 10 / 2020 को प्राप्त करने पर जानकारी में आया कि उक्त कृषि भूमि प्रार्थी के पिता भाणाराम पुत्र बोराराम जाति माली

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

के नाम से दर्ज है। जिस वजह से प्रार्थी के पिता के स्थान पर फौतेदगी नामान्तकरण दर्ज नहीं हो सका। राजस्व रेकर्ड में त्रुटि वश घांची के स्थान पर माली शब्द दर्ज कर दिया गया, जो गलत दर्ज हुआ है। इसलिए उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी के पिता भाणाराम पुत्र बोराराम जाति घांची के नाम से रेकर्ड दुरूस्त कर इन्द्राज किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है। उक्त कृषि भूमि ग्राम सोजत चक प्रथम तहसील सोजत में स्थित होने से यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है। अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम तहसील सोजत के खसरा नम्बर 2666 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा नम्बर 2667 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा नम्बर 2668 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा नम्बर 2669 रकबा 0.1000 हैक्टर, खसरा नम्बर 2670/1 रकबा 0.0500 हैक्टर कृषि भूमि में दर्ज खातेदार भाणाराम पुत्र बोराराम जाति माली के स्थान पर भाणाराम पुत्र बोराराम जाति घांची के नाम से रेकर्ड दुरूस्त किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत जबाब प्रार्थना पत्र पेश नही कर बहस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने की ईश्तदुआ करने से जबाब प्रार्थना पत्र बन्द किया जाता है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2666 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा नम्बर 2667 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा नम्बर 2668 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा नम्बर 2669 रकबा 0.1000 हैक्टर, खसरा नम्बर 2670/1 रकबा 0.0500 हैक्टर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार भाणाराम पुत्र बोराराम जाति माली के स्थान पर भाणाराम पुत्र बोराराम जाति घांची दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर उपस्थित तहसीलदार/लैण्ड होल्डर/सोजत को कोई आपति नही होना बहस के दौरान व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात, जबाब प्रा0 पत्र साक्ष्य सबूतों दस्तावेजात तथा उक्त विवादित भूमि से सम्बद्ध प्रा0 पत्र में वर्णित उक्त तथ्यों की ताईद में प्रस्तुत शपथ पत्र मय उक्त दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस उभय पक्षों पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्त विवादित सरहद मौजा सोजत चक प्रथम, तहसील सोजत के खसरा नम्बर 2666 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा नम्बर 2667 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा नम्बर 2668 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा नम्बर 2669 रकबा 0.1000 हैक्टर, खसरा नम्बर 2670/1 रकबा 0.0500 हैक्टर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार भाणाराम पुत्र बोराराम जाति माली के स्थान

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

पर भाणाराम पुत्र बोराराम जाति घांची दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाना उचित समझते है।

—:आदेश:—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सोजत चक प्रथम, तहसील सोजत के खसरा नम्बर 2666 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा नम्बर 2667 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा नम्बर 2668 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा नम्बर 2669 रकबा 0.1000 हैक्टर, खसरा नम्बर 2670/1 रकबा 0.0500 हैक्टर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार भाणाराम पुत्र बोराराम जाति माली के स्थान पर भाणाराम पुत्र बोराराम जाति घांची दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को निर्णय की छायाप्रति तहरीर के साथ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

निर्णय आज दिनांक 03.01.2022 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत